

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमाल/रीडर/2024/38/2024

दिनांक- 23/06/2024

विधित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 38/2024 अनवान आहमदनुर पिता आहमद खीं निवासी हथोडिया ब्रनाग रोजी पिता रामनाथ भीणा निवासी हथोडिया, मदन पिता भूरा भीणा निवासी हथोडिया, दुर्गा पिता केसरा भीणा निवासी अखेपुरा, अन्नुसिंह पिता चावण्डसिंह राजपुत निवासी हथोडिया, गंगाराम रेगर पिता नारायण रेगर निवासी हथोडिया, कल्याण पिता छोगा भीणा निवासी हथोडिया, जलालुद्दिन पिता केसरा खीं निवासी हथोडिया, जगना पिता देवलाल भीणा निवासी अखेपुरा, नरेन्द्रसिंह पिता शाहरसिंह राजपुत निवासी हथोडिया, कल्याणसिंह पिता जालमसिंह राजपुत निवासी हथोडिया, रामराज पिता बगतावर भीणा निवासी हथोडिया, रोडसिंह पिता जालमसिंह राजपुत निवासी हथोडिया जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम हथोडिया प.ह. बिहाडा आराजी सं. 181/1, 181/4, 335/1, 335/3, 336/2, 408/2, 410/1, 86, 87, 90, 91 कुल कित्ता 07 एकबा 6.0944 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 3000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 500 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

श्री. अशोक कुमार अहमद
बाद जांच पेश हो

रिपोर्ट ने पेश किया।

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

अहमदनुर पिता अहमद खाँ निवासी हथोडिया .
बनाम

सोजी पिता रामनाथ मीणा निवासी हथोडिया वगैरह

मुकदमा नंबर 38/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111.128 एल.आर.ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुवे
23/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम हथोडिया प.ह. बिहाडा आराजी सं. 181/1, 181/4, 335/1, 335/3, 336/2, 408/2, 410/1, 86, 87, 90, 91 कुल किता 07 रकबा 6.0944 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया कुल किता 07 रकबा 1.1899 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम ग्राम हथोडिया प.ह. बिहाडा आराजी सं. 181/1, 181/4, 335/1, 335/3, 336/2, 408/2, 410/1, 86, 87, 90, 91 कुल किता 07 रकबा 6.0944 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 3000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 500रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 23/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा